



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2553]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2010/पौष 1, 1932

No. 2553]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2010/PAUSAH 1, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2010

अर्थात्:—

तालिका

क्रम सं.	रेकॉर्डिंग	किला नं.	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1	82	1	0.4047
2		2/1	0.1821
3		10/3	0.3085
4		11/2	0.1011
5		9/3	0.0607
6	57	19/3	0.1821
7		22/1	0.1821
8		3/2/1/2/3	0.3742
9		4/1	0.0303
10		8/1/2/3	0.4046
11		13/1/1/2/3	0.1946
12	38	24/2	0.3035
13		8/2	0.134
14		13/1/2	0.4046
15		23/3	0.0303
16		25	0.4047
17		14/1	0.263
18		24/1	0.1011

का.आ. 3015(अ).—यतः, मै. गोल्डसुक इन्टरनेशनल जेम्स एवं ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने, जो हरियाणा में गाँव भौंडसी, तहसील सोहना, गुडगाँव जिला में जेम्स एवं ज्वैलरी सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत गाँव भौंडसी, तहसील सोहना, गुडगाँव जिला, हरियाणा में जेम्स एवं ज्वैलरी एसईजेड के लिए दिनांक 6 फरवरी, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 13 की उप-धारा (1), धारा 53 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :—

(i) केन्द्र सरकार एतदद्वारा हरियाणा राज्य में गाँव भौंडसी, तहसील सोहना, गुडगाँव जिला में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण किला नम्बर और क्षेत्र शामिल हैं,

1	2	3	4
19		23/1	0.3262
20		18/3/1/2	0.4046
21		16	0.4047
22		17	0.4047
23		23/2	0.048
24	56	4/2	0.1568
25		5/2	0.1568
26		6	0.4047
27		7	0.4047
28		14	0.4047
29		15	0.4047
30		16/1	0.2883
31		25/1	0.1846
32	57	9	0.4047
33		10	0.4047
34		11	0.4047
35		12/1	0.3718
36		20	0.4047
37		21	0.4047
कुल		10.4550	

(ii) केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
3. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन

6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
7. हरियाणा सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन

8. मै. गोल्डसुक इन्टरनेशनल जेम्स एवं ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि

(iii) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त क्षेत्र विशिष्ट विशेष जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/98/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2010

S.O. 3015(E).—Whereas, M/s. Goldsouk International Gems & Jewellery SEZ Private Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Gems and Jewellery Sector at Village Bhondsi, Tehsil-Sohna, District-Gurgaon in the State of Haryana;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for Gems and Jewellery sector at Bhondsi, Tehsil-Sohna, District-Gurgaon, Haryana on 6th February, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, sub-section (1) of Section 13, sub-section (2) of Section 53 and sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 :

- (i) the Central Government hereby notifies the following area at Village Bhondsi, Tehsil-Sohna, District-Gurgaon in the State of Haryana, comprising of the Killa numbers and the area given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Rectangle No.	Killa No.	Area (in hectares)
1	2	3	4
1	82	1	0.4047
2		2/1	0.1821
3		10/3	0.3035
4		11/2	0.1011
5		9/3	0.0607
6	57	19/3	0.1821
7		22/1	0.1821
8		3/2/1/2/3	0.3742
9		4/1	0.0303
10		8/1/2/3	0.4046
11		13/1/1/2/3	0.1946
12	38	24/2	0.3035
13		8/2	0.134
14		13/1/2	0.4046
15		23/3	0.0303
16		25	0.4047
17		14/1	0.263
18		24/1	0.1011
19		23/1	0.3262
20		18/3/1/2	0.4046
21		16	0.4047
22		17	0.4047
23		23/2	0.048
24	56	4/2	0.1568
25		5/2	0.1568
26		6	0.4047
27		7	0.4047
28		14	0.4047
29		15	0.4047
30		16/1	0.2883
31		25/1	0.1846
32	57	9	0.4047
33		10	0.4047
34		11	0.4047
35		12/1	0.3718
36		20	0.4047
37		21	0.4047
Total			10.4550

(ii) the Central Government hereby also constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex officio
3. Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex officio
7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Haryana —Members, ex officio
8. Representative of M/s. Goldsouk International Gems & Jewellery SEZ Private Limited (Developer) —Special Invitee

(iii) the Central Government hereby also appoints the 22nd day of December, 2010 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot/Port under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. No. F. 1/98/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.